अनुसूची–१४ –फारम रा0 ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 104 / 2012

मालती देवी

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा,मढौरा,सारण)

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
10.06.2015	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा, छपरा के ज्ञापांक 2181, दिनांक 24.07.12 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 10.01.2012 को जिला स्तरीय जांच दल संख्या 15 श्री कुमार मंगलम, वरीय उप समाहर्ता, सारण,छपरा के द्वारा मालती देवी, ज0वि0प्र0वि, अनु सं0–85/2007, पंचायती–गंगौली, प्रखंड–मशरक की दूकान की जांच की गई। जांच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई– 1. उपभोक्ताओं को बी0पी0एल0 चावल 8 रू0 कि0ग्रा0,गेहूँ 6रू0 कि0ग्रा0 कुल 20 कि0ग्रा0 ही देते है। 2. चार से पॉच बार ही पूरे वर्ष में देना। 3. उपभोक्ता के पास पूर्व का कूपन पाया जाना। 4. वर्तमान माह का अनाज नहीं दिया जाना। 5. डीलर द्वारा बदसलूकी करना। उक्त अनियमितता के लिए अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढौरा के ज्ञापांक 536/गो0, दिनांक 19.03.2012 के द्वारा विकेता से कारण–पृच्छा किया गया जिसके प्रसंग में विकेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। विकेता से प्राप्त जवाब को असंतोषजनक पाकर विकेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि विकेता के द्वारा विभागीय दिशा	

निदेश के आलोक में निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में कूपन प्राप्त कर ससमय अनुदानित सामग्री का वितरण उपभोक्ताओं के बीच किया जाता है। वितरण कार्य निगरानी समिति के सदस्यों के समक्ष किया जाता है। विक्रेता के विरूद्व लगाये गए सभी आरोप बेबुनियाद और निराधार है। ऐसा प्रतीत होता है कि विक्रेता के किसी विरोधी के द्वारा विक्रेता को परेशान करने की नीयत से विक्रेता के विरूद्व गलत बयानी की गई है। विक्रेता के द्वारा जब भी खाद्यान्न का उठाव किया जाता है तो उसका ससमय वितरण किया जाता है। किसी किसी माह में निर्गामादेश ससमय प्राप्त नहीं होने की वजह से खाद्यान्न का आवंटन व्ययगत हो जाता है, और इस तरह उपभोक्ताओं का कूपन उन्ही के पास रह जाता है। इसका यह अर्थ नही है कि विक्रेता के द्वारा प्राप्त सामग्री की कालाबाजारी की गई है। जांच दल के द्वारा दिनांक 10.01.12 को जांच किया गया था, तबतक विक्रेता को कोई भी सामग्री प्राप्त नहीं हुआ था, जिस वजह से आनाज वितरित नहीं किया गया था। विक्रेता के द्वारा किसी भी उपभोक्ता से कोई भी बदसलूकी नहीं की जाती है। ऐसा आरोप विक्रेता को परेशान करने की नीयत से लगाया गया है। अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को रद्द करते हुये अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में आचरण न करके गंभीर अनियमितताएं बरती गई है। अतः उनकी अनुज्ञप्ति को रदद् रखा जाना उचित होगा।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश (2181, दिनांक 24.07.2012) एक मुखर आदेश नहीं है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा किए गए कारण पृच्छा में उन उपभोक्ताओं के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, जिनके द्वारा विक्रेता के विरूद्व आरोप लगाया गया। इस तरह उक्त कारण पृच्छा अपने आप में अपूर्ण एवं अस्पष्ट है। विक्रेता से प्राप्त जवाब एवं कागजात के प्रसंग मे यदि कोई अनियमितता पाई गई, तो अनुज्ञापन पदाधिकारी के लिए यह आवश्यक था कि विक्रेता से पाई गई अनियमितताओं के प्रसंग में कारण पृच्छा किया जाता, एवं प्राप्त जवाब के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाती, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं

किया गया। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

10/06/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

10/06/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 403 /न्या0, दिनांक 10/6/15

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- विद्वान विशेष लोक अभियोजक, 7 ई0सी0, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी एन0 आई0 सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/6/15

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।

10/6/15